

कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या- प्राथम/प्रदेश सम्बद्धता/2020/1021

लखनऊ दिनांक: 15-9-2020

-कार्यालय द्वारा-

प्रदेश प्राथमिक स्कूलों की शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/प्रदेशी कार्यालय और दुधिया, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 14-08-2020 से 10-09-2020 तक राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ को सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-08-2020 को प्रधान, प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ को सम्बद्धता के अन्वय में परिषद कार्यालय में प्रेषित किया गया। बाद में तारीख 05-09-2020 हेतु तारीख नई दिल्ली को सम्बद्धता/पूर्व के कार्यालय कार्यालय को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रदेश विस्तार प्रदान करने के लिए प्रेषित किया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता तारीख की वजह से 14-8-20 के दिनांक 05-09-20 के अनुसार प्रदान करने वाली पूर्व में सम्बद्धता के अन्वय में लखनऊ को सम्बद्धता तारीख द्वारा प्रदान किया/लखनऊ/लखनऊ/लखनऊ

विशेष ध्यान में स्थापित विद्यार्थियों इन कार्यालयी पाठ्यक्रम संशोधित करने वाली संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं राज 2020-21 हेतु पीठरी/बाई/0 द्वारा उन्हें सहायक अनुसूचन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीठरी/बाई/0 द्वारा प्रदान किये गये अनुसूचन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्बद्धता तारीख/प्रदेश विस्तार के साथ राज 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किया जाने पर तारीख द्वारा विस्तार-विस्तार किया गया एवं सर्वसम्मति से पीठरी/बाई/0 द्वारा प्रदान अनुसूचन विस्तार के अनुक्रम में राज 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिने जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-08-2020 को प्रेषित सम्बद्धता तारीख की वजह से दिने एवं प्रदान करने के अनुसार विस्तार के अनुसार जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ को सम्बद्धता प्रदान राज 2020-21 हेतु विस्तारिता तारीख में अन्वय पाठ्यक्रम एवं अन्य तारीख प्रदान हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीठरी/बाई/0 द्वारा 2020-21 के अनुसार प्रदान किया गया	पीठरी/बाई/0 द्वारा 2020-21 के अनुसार प्रदान किया गया
1	क.टी.ए.	श्री. कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा	विशेष 10 कर्मा	00	00

सम्बद्धता हेतु नई

- ✓ सहायता/पीठरी/बाई/0/पीठरी/बाई/0 द्वारा निर्देशित की गयी है।
- ✓ सहायता/पीठरी/बाई/0/पीठरी/बाई/0 द्वारा निर्देशित की गयी है।

10

- ✓ संस्था को एंजल/सीसीआई/पीसीआई/आईडि से आसानी से ऋण हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गये विधिविषयक/वित्तिक/वैधानिक/वैदेशिक/सीडीएच/निदेशिका एवं निर्देशिका, प्राथमिक शिक्षा, उच्चतर, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्चतर तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उच्चतर द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ विद्यार्थियों एवं फार्मिसी पाठ्यक्रम को संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नहीं दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को कोई कार्य प्राप्त किया जाता है तथा समय-समय के संबंध में या न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करना होगी।
- ✓ विद्यार्थियों एवं फार्मिसी पाठ्यक्रम संघटित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश वर्ष के लिए आवेदित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पीसीआई/आईडि से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध कराया होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अपना संबंध स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत योजनानुसार आरक्षण विधियों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, संस्था-सम्बन्ध, उपकरण, प्राप्ति किया जाने वाला सुनक, छात्रावास सुनक आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-विकास हेतु उच्चतर काठारगत उपलब्ध कराने के साथ रोजगार रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक जानकारी सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रशासिक संघटित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निदेशक समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अधिलेख, भूमि-पत्र, फार्मिस, उपकरण एवं यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रवेश किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रवेश किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के समस्त निवेशक डीलर यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सारा-सम्बन्ध एंजल/सीसीआई/पीसीआई/आईडि/परिषद के माध्यम/नुसार उपलब्ध नहीं प्राप्त जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता नहीं का अनुपालन न किये जाने अथवा कर्तों का उपलब्ध किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुपालन/अभिलेख कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पुस्तक- प्राथमिक/परिषद/सम्बद्धता/2021/9538-4808

दिनांक: 08/08/2021

प्रतिनिधि-

प्रधानाचार्य/निदेशक KUNWAR AJEET COLLEGE OF PHARMACY, VILL-RAJEPUR, POST- KAJGAON, JAUNPUR-222138.


(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

कार्यवाही

राज्य प्रविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सरकार

संख्या- प्राविष/परिषद सम्बद्धता/2022/7817

संलग्नक दिनांक 30/08/2022

कार्यवाही कायदा

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्यालयी कार्यवाही अंतर्गत प्राविष, नई दिल्ली द्वारा प्रेषित संख 2022-23 हेतु विद्यार्थियों को राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद) द्वारा प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक काया मुहूर्त बैठक में सम्मिलित द्वारा संख 2022-23 हेतु कार्यवाही नई संसद में को सम्बद्धता पूर्व से सम्पन्नित संसदों को सम्बद्धता विचार-पाठ्यक्रम प्रवेश कक्षा वृद्धि सहित अन्य गति पर विचार करते हुए संख 2022-23 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विचार प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुसार निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उा प्र संलग्नक द्वारा संख 2022-23 हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन परीक्षाक्रम एवं उसमें अधिका प्रवेश कक्षा हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विचार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4078-KUNWAR AJEET COLLEGE OF PHARMACY

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आइ0सी0टी0टी0पी0टी0आई0 परीषद द्वारा संख 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश कक्षा	परीषद द्वारा संख 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश कक्षा
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संसद ए0आइ0सी0टी0टी0पी0टी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संसद उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद संख 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1982, विनियमावली-2000, सेपेराट विनियमावली-2016 एवं संसद संसद पर निर्दिष्ट सांशुद्धियों का अनुपालन करेगी तथा सुन्य निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करेगी वृद्धि परीक्षाक्रमों हेतु संस 30/10/2022, प्रतिबंध, जो जर्जि कार्यालयी परीक्षाक्रम हेतु संस 15/08/2022, प्रतिबंध एवं एक संस दो जर्जि परीक्षाक्रमों (दो जर्जि कार्यालयी परीक्षाक्रम के अतिरिक्त) हेतु संस 22/08/2022, प्रतिबंध शुल्क ही प्रवेश परीक्षाक्रम से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त सांशुद्धियों में शुल्क के संबंध में संस संसद पर संसद द्वारा निर्दिष्ट किये जाने वाले सांशुद्धियों का पालन करेगी, और अनुसंधान परीक्षाओं के लिए उक्त सांशुद्धियों का पालन करेगी। परीक्षा निर्धारण समिति द्वारा संख 2022-23 हेतु परीक्षा का पूर्णतः पालन किया जायेगा, जो परीक्षा की गति-क्रम पर लागू होगी।
- ✓ संसद में संसद प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संसद को संसद-संसद पर निर्दिष्ट सांशुद्धियों के अनुसार निर्धारण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करके होगा।
- ✓ संसद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्दिष्ट विधिविधियों/अधिनियमों/सांशुद्धियों/निर्देशों एवं निर्देशों, प्राविधिक शिक्षा परिषद, संसद प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार गयी नियमों, विनियमों, अधिनियमों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये सांशुद्धियों को।
- ✓ परीक्षा, संसद का ए0आइ0सी0टी0टी0पी0टी0आई0 में अनुमोदन निष्का किया जाता है तो इस संबंध में संसद उत्तराखण्ड संसद का टोप और विधिक रूप में किये गये कार्यालयी के लिए सांशुद्धियों उत्तराखण्ड होगी। प्राविधिक

परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रतिष्ठित शिक्षा निदेशालय एवं प्रतिष्ठित शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन
 के विरुद्ध यदि कोई वाद उत्पन्न किया जाता है तथा उत्पन्न वाद के संस्था में या व्यापकता द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया
 उत्पन्न होना निर्गत किया जाता है तो संस्था प्रतिपक्षी संबंधित संस्था को करनी होगी।

- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रेषित हेतु आवेदनिका कागजातों/प्रारंभ होने के पूर्व [0000000000000000000000000000] के अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध कराना होगा अथवा उन्हें प्रवेश की (समावेशित) के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आक्षेप पर/बीजे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित हेतु समय-समय पर निर्दिष्ट नवीनतम आकांक्षित विषयों का अनुपालन करना आवश्यकता होगी।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साक्ष-सामग्री, उपकरण, प्राय विषय जैसे कला कृष्ण, छात्रकाम सुलभ आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षा-प्रतिष्ठान हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिम रोकने के वाक्य में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था या सुनिश्चित हो से कि संस्था में प्रस्तावित संश्लिष्ट पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराया गये अतिरिक्त, भूमि-भवन, कर्मचारी, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संभालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के अथवा कर्तव्य निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साक्ष-सामग्री [0000000000000000000000000000] के मातृकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की विधि में नियमानुसार अनुसंधानात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(Signature)
 (एचएआरड शाखा)
 सचिव

दूरभाष- प्राविषापरिषद सम्बद्धता/2022/7819-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिपक्षी-
 000-0000000000000000000000000000 KUNWAR AJEET COLLEGE OF PHARMACY

(Signature)
 (एचएआरड शाखा)
 सचिव